पत्र संख्या–1 स्था० विविध (राजपत्रित) 06 / 2023 प०पा० / 659 /

झारखण्ड सरकार,

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

राजकुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव

निबंधित

सेवा में,

डॉ० जितेन्द्र कुमार सिंह,
तत्कालीन अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी
सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय–जिला पशुपालन कार्यालय, दुमका

रॉंची, दिनांक– 18/05/23

विषयः– **स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय अधिसूचना संख्या–628 दिनांक–11.05.2023**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी के पद पर पदस्थापन के दौरान आपके द्वारा पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों का वेतन लम्बित रखा गया, जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, रॉंची द्वारा भी की गयी है। कृपया स्पष्ट करें कि किस नियम के तहत् आपके द्वारा पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों का वेतन लम्बित रखा गया ?

आपके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विभाग में प्राप्त है :–

1. वेतन भुगतान हेतु पशुचिकित्सकों एवं कर्मचारियों से अवैध राशि की वसूली करना।
2. वित्तीय शक्ति का दुरूपयोग करते हुए पशुचिकित्सकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाना।
3. नियंत्री पदाधिकारी (जिला पशुपालन पदाधिकारी, खूँटी) द्वारा कर्मियों के वेतन निकासी पर रोक हटाने के निदेश के बावजूद, निदेश का अवहेलना किया जाना।
4. वित्तीय वर्ष 2022–23 में वेतन मद में राशि आवंटित रहने के बावजूद कतिपय पशुचिकित्सकों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं करना एवं आवंटित राशि प्रत्यर्पित कर देना।
5. FMD टीकाकरण कार्य में लगे कर्मियों को पशुचिकित्सालय में न पाये जाने पर स्पष्टीकरण में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के बावजूद उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाना जिसके कारण टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ।
6. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–2772 दिनांक–17.10.2022 द्वारा माह अक्टुबर, 2022 का वेतन भुगतान दिनांक–20.10.2022 से करने के बावजूद दीपावली, छठ के अवसर पर प्रथमवर्गीय पशुचित्सिालय, कर्रा के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान अकारण लम्बित रखना।

Scanned with OKEN Scanner

वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1139 दिनांक–17.04.2023 द्वारा ईद–उल–फितर के अवसर पर दिनांक–20.04.2023 से वेतन भुगतान का आदेश होने के बाद भी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान लम्बित रखना।

7. डॉ० अनिल कुमार नायक, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, खटंगा, खूँटी पर गाड़ी सं०–JH01 EV 8388 द्वारा धक्का मारने की कोशिश का मिथ्या आरोप लगाना।

8. क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची के निदेश का अनुपालन नहीं करना एवं उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना।

9 उपायुक्त, खूँटी के आदेश ज्ञापांक–185 दिनांक–15.04.2023 द्वारा सभी कार्यालय प्रधान के निदेश दिया गया है कि किसी भी कर्मी का वेतन स्थगित करने से पूर्व उनसे निश्चित रूप से अनुमति प्राप्त करेंगे।

उपायुक्त, खूँटी के अनुमति के बगैर जितने भी कर्मियों का वेतन स्थगित किया गया था, उन सभी कर्मियों के स्थगित वेतन को तत्काल प्रभाव से विमुक्त करने का आदेश निर्गत होने के बावजूद आपके द्वारा उपायुक्त, खूँटी के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

10. आपके द्वारा चार माह से वेतन स्थगित रखने के कारण आर्थिक एवं मानसिक रूप से त्रस्त होकर पशुचिकित्सकों एवं कर्मी द्वारा उपार्जित अवकाश पर जाने सम्बंधी अभ्यावेदन दिया गया है।

इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर दिनांक–25.05.2023 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। बिन्दुवार स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जायेगा कि आपको इस प्रसंग में कुछ नहीं कहना है।

विश्वासभाजन

18.5.23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या 659 / **राँची, दिनांक** 18/05/23

प्रतिलिपिः– निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची/संथाल परगना, दुमका/जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका/खूँटी को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से भी डॉ० सिंह को पत्र का तामिला कराने की कृपा की जाय।

18.5.23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या 659 / **राँची, दिनांक** 18/05/23

प्रतिलिपिः– डॉ० शिव कुमार वर्मा, नोडल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.5.23

सरकार के अवर सचिव

Scanned with OKEN Scanner